

नारायण प्रसाद अग्रवाल (डी) एलआरएस द्वारा

बनाम

एम. पी. का राज्य

18 मई, 2007

(एस-बी-सिन्हा और मार्कडी काटजू, जे. जे.)

संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882:

धारा 105 और 107- अपीलार्थी के पूर्वजों द्वारा वादग्रस्त सम्पत्ति नीलामी में खरीदी गई- स्वत्व संबंधी रिकॉर्ड से पता चलता है कि संपत्ति सरकार की है और अपीलार्थी के पूर्वजों को पट्टे पर दी गई थी। विचारण न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि स्वत्व संबंधी प्रविष्टियों के आधार पर सरकार वादग्रस्त सम्पत्ति की मालिक है। निर्धारित-स्वामित्व विलेख का निष्पादन साबित नहीं होने से सही नहीं है - राजस्व अभिलेख में की गई प्रविष्टियां नीलामी खरीदार द्वारा प्राप्त वैध स्वामित्व को निष्फल नहीं कर सकती हैं।

एक ही प्रकृति का स्वामित्व दो अलग-अलग व्यक्तियों में मौजूद नहीं हो सकता है जहां उनके दावे विपरीत हैं।

साक्ष्य अधिनियम, 1872:

एस. 35-अधिकार का अभिलेख स्वामित्व का दस्तावेज नहीं है- धारा 35 के अनुसार की गयी प्रविष्टियां यद्यपि सुसंगत साक्ष्य के रूप में ग्राह्य

है एवं दस्तावेज के सही होने के संबंध में भी उपधारणा की जा सकती है। परन्तु, ऐसी उपधारणा खंड नीय होती है।

शब्द और वाक्यांश: नाजुल लैंड-का अर्थ।

संपत्ति को 'आर' और 'जी' के पूर्वजों द्वारा 1859 में या उसके आसपास नीलामी में रखा गया था। वे उक्त भूमि के मालिक बन गए और अपनी मृत्यु तक काबिज रहे। 'आर' और 'जी' से 'एफ' द्वारा दिनांक 24.3.1986 को या उसके आसपास उक्त भूमि खरीदी गई थी। वर्ष 1920 में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी पत्नी 'पी', उनकी एकमात्र उत्तराधिकारी होने के नाते उक्त भूमि की मालिक बन गई। उसकी दिनांक 8.5.1961 को मृत्यु हो गयी। उसके कोई वारिश नहीं था तथा वादी-अपीलार्थी और प्रतिवादी संख्या 2 को उक्त संपत्ति विरासत में मिली क्योंकि उसके उत्तराधिकारी 'एफ' के भाई के बेटे थे।

संपत्ति किसी प्रकार रिकॉर्ड में सरकार के नाम पर दर्ज हुई एवं एफ की विधवा ने सरकार को लीज राशि देना प्रारम्भ कर दिया।

अपीलार्थी ने इस आधार पर अधिकार की घोषणा के लिए मुकदमा दायर किया कि वादग्रस्त जमीन राज्य सरकार द्वारा पी को या उसके पूर्वजों को कभी भी लीज पर नहीं दी गयी थी। विचारण न्यायाधीश द्वारा विचित्र प्रकार के तर्कों एवं राजस्व रिकॉर्ड में की गयी प्रविष्टियों के आधार पर विरोधाभासी एवं अस्थिर निष्कर्ष पर पहुंचे कि राज्य ने स्वयं को वादग्रस्त भूखंड का मालिक होना बताया है, जबकि यह स्पष्ट था कि प्रार्थी

व प्रतिवादी संख्या 2 यह साबित कर चुके थे कि उनका वादग्रस्त भूमि पर कब्जा व स्वामित्व है। विचारण न्यायालय के आदेश को उच्च न्यायालय द्वारा मान्य किया गया। जिस पर यह अपील पेश हुई।

न्यायालय ने अपील की अनुमती दी व अभिनिर्धारित किया: 1. विचारण न्यायालय के निष्कर्ष स्वयं में ही विरोधाभासी हैं। वादग्रस्त भूमि वर्ष 1859 में निलामी के लिये रखी गई थी। वादी और प्रतिवादी संख्या 2 एवं उनके पूर्ववर्तियों का हमेशा से कब्जा रहा। हालांकि यह सच हो सकता है कि विचाराधीन भूमि स्वामित्व के राजस्व रिकॉर्ड को नजुल भूमि के रूप में दिखाया गया था और 'पी 3 ने एक याचिका पट्टा जारी करने एवं राज्य को किराया भुगतान करने के लिए दायर की थी। यह निपटान आयुक्त द्वारा दिनांक 30.10.22 द्वारा पारित आदेश से स्पष्ट है कि ऐसा कोई पट्टा विलेख अभिलेख पर उपलब्ध नहीं था। विचाराधीन संपत्ति उसके और उसके पूर्ववर्ती के पास स्थायी पट्टे के रूप में होनी चाहिए। विचारण न्यायाधीश ने इस निष्कर्ष पर पहुँचते हुए कि 'पी' ने 30 साल की अवधि के लिए पट्टा प्राप्त किया था, राज्य द्वारा प्राप्त किसी भी दस्तावेजी या मौखिक साक्ष्य का उल्लेख नहीं किया। यदि पट्टा विलेख कलेक्टर द्वारा 'पी' के पक्ष में निष्पादित किया गया था, तो उसे प्रस्तुत किया जाना चाहिए था। वास्तव में, निपटान आयुक्त एक सकारात्मक निष्कर्ष पर पहुंचे कि कलेक्टर ने पट्टे के किसी भी विलेख को निष्पादित नहीं किया था। निपटान आयुक्त द्वारा पारित उक्त आदेश की शुद्धता के बारे में कभी भी

विवाद नहीं किया गया, अतः यह राजस्व निकायों के लिए अंतिम और बाध्यकारी हो गया। इस प्रश्न पर केवल इसलिए फिर से विचार करने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी क्योंकि राजस्व विभाग के एक अन्य अधिकारी ने इसके विपरीत विचार रखा था। (पैरा 16) (424-एच; 425-ए-डी)

2. वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 के पूर्वजों द्वारा प्राप्त स्वत्व जो कि सन् 1859 में निलामी द्वारा प्राप्त किया गया था, विचारण न्यायालय द्वारा नकारा नहीं जा सकता। ऐसा कोई भी दस्तावेज रिकॉर्ड पर नहीं आया है, जो कि यह प्रदर्शित करता हो कि वास्तविक स्वामी का भूमि में क्या हित था। (पैरा 17) (425-ई)

3. यह कहना एक बात है कि सभी स्वत्वधारियों के हित राज्य में निहित हैं। वादी और प्रतिवादी संख्या 2 राज्य को किराया देने के लिए बाध्य थे, परन्तु एक तथ्य यह भी है कि राज्य नजुल भूमि का स्वामि था एवं वादी और प्रतिवादी संख्या 2 या 'पी' एक निश्चित अवधि के लिए इसके तहत पट्टेदार था। (पैरा 18) (425-एफ-जी)

4. 'नजुल भूमि' शब्द का एक निश्चित अर्थ है। इसका अन्य बातों के साथ अर्थ है "कस्बों या गाँवों में या उनके आस-पास की भूमि या इमारतें जो सरकार के पास चली गई हैं; राज्य के पास चली गई या समाप्त हो गई संपत्ति: आमतौर पर ऐसी भूमि या आवासीय सम्पत्ति जो कि राज्य सरकार से सम्बन्धित होती है या धोखे से प्राप्त राज्य सरकार

की भूमि होती है। (पैरा 19) (425-जी-एच; 426-ए)

5. विचारण न्यायाधीश स्पष्ट रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि राज्य ने वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को स्वीकार किया था और उसके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का भी खंडन नहीं किया था और इसलिए, वह केवल स्वत्व के रिकॉर्ड में की गई प्रविष्टियों पर भरोसा करते हुए मुकदमे को खारिज नहीं कर सकता था।

(पैरा 21) (427-बी-सी)

6. अधिकार का अभिलेख स्वत्व का दस्तावेज नहीं है। एस.35 उसमें प्रविष्टियाँ की गईं यद्यपि साक्ष्य अधिनियम एक सुसंगत साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य है और यद्यपि इसमें शुद्धता का उपधारणा भी हो सकती है, लेकिन यह किसी भी संदेह या विवाद से परे है कि ऐसी उपधारणा का खंडन किया जा सकता है। प्रदर्श पी-4 और प्रदर्श पी-6 प्रदर्शित जिन पर विचारण न्यायालय द्वारा भरोसा करके यह माना गया कि राज्य का वादग्रस्त सम्पत्ति का स्वत्व था। उक्त दस्तावेज सन् 1920-21 के थे, लेकिन यह ध्यान देने में विफल रहे कि निपटान आयुक्त द्वारा दिनांक 30.10.1992 को पारित आदेश में उक्त दस्तावेजों के सम्बन्ध में उपधारणा को ध्यान में रखा जाकर यह अभिनिर्धारित किया गया कि विचाराधीन भूमि के संबंध में पट्टे का कोई विलेख निष्पादित नहीं किया गया था, उक्त 'पी' के शीर्षक को स्थायी पट्टेदार माना जाना चाहिए।

(पैरा 22) (427-सी-ई)

7. यद्यपि अवधारणाओं के अनुसार अचल संपत्ति के संबंध में स्वामित्व अलग हो सकता है। यह मौलिक है कि एक ही प्रकृति का शीर्षक दो अलग-अलग व्यक्तियों में मौजूद नहीं पाया जा सकता है जहां उनके दावे विपरीत हैं। अदालत के लिए इस तरह की स्थिति में यह अभिनिर्धारित करना संभव था कि वादी और प्रतिवादी संख्या 2 राज्य के तहत एक स्थायी पट्टेदार होने के नाते भूमि राजस्व के माध्यम से या अन्यथा राज्य को किराया देने के लिए बाध्य थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होगा कि वादी के स्वामित्व धारक होने के बावजूद, राज्य को उसमें प्रत्यावर्तन का अधिकार था या उस मामले के लिए भूमि की किस्म नजुल भूमि थी। इसलिए विचारण न्यायालय के निष्कर्षों से सहमत होना मुश्किल है, जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा मान्य किया गया है। (पैरा 23 और 24) (427-ई-एच)

8. पट्टा विलेख के अस्तित्व को साबित किया जाना चाहिए। ऐसा ही होना भी चाहिए। सम्पत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 105 और 107 में उक्त विधिक आवश्यकता को ही बताया गया है। पक्षकारों के मध्य हुई संविदा के आधार पर पट्टाकर्ता एवं पट्टा ग्रहिता के संबंध एवं लीज की शर्तें निर्भर करती हैं। राज्य का यह मामला नहीं था कि पी के पक्ष में मौखिक लीज स्वीकृत की गई थी। ऐसे मामले जहां राज्य शामिल हो एवं भूमि की किस्म नजुल भूमि हो। राज्य के लिये यह आवश्यक है कि लीज डीड का निष्पादन करें। जैसा कि, इस प्रकार के दस्तावेज का निष्पादन साबित नहीं

हुआ, विचारण न्यायालय ने स्पष्ट रूप से सेटलमेंट कमिश्नर के आदेश दिनांकित 30.10.1922 के बावजूद राजस्व रिकॉर्ड के इंद्राज के आधार पर निर्भर रहकर गलती की है। राजस्व रिकॉर्ड में की गयी प्रविष्टियां नीलामी में क्रय की गयी सम्पत्ति के क्रेता के विधिक स्वत्व को समाप्त नहीं कर सकते हैं। विशेषकर इस तथ्य के आधार पर कि पी ने जिला कलेक्टर के आदेश को सेटलमेंट कमिश्नर के समक्ष चुनौती दी थी, जो कि उसके पक्ष में निर्धारित हुआ। यह अच्छी तरह से तय है कि किराये का भुगतान या गैर-भुगतान स्वत्व नहीं बनाता है। (पैरा 25) (427-जी-एच; 428-ए-सी)

9. हो सकता है कि दावे को अच्छी तरह से तैयार नहीं किया गया हो, लेकिन यह अच्छी तरह से पता है कि सामान्यतः कमजोर अभिवचनों को कठोरता से अर्थ नहीं लिया जाना चाहिए। अभिवचनों को पूरी तरह से समझा जाना चाहिए। इसलिए, विचारण न्यायालय एवं उच्च न्यायालय का यह निष्कर्ष कि राज्य भूमि का स्वामी था, सही नहीं है। इसके अलावा राज्य यह साबित करने सफल नहीं रहा है कि भूमि की किस्म नाजुल भूमि थी एवं राज्य को प्रत्यावर्तन का अधिकार था। (पैरा 26 और 27) (428-डी-जी; 429-ए) देस राज बनाम भगत राम, (2007) 3 स्केल 371 पर आधारित।

सिविल अपीलिय न्यायालय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील सं.
4601/2005

एम.पी. जबलपुर उच्च न्यायालय द्वारा एफ. ए. संख्या 81/998 मे

पारित अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 11.5.2004 से उत्पन्न।

अपीलार्थी के लिए ए. के. संघी।

प्रतिवादी के लिए बी. एस. बंधिया और विक्रान्त सिंह बैस।

न्यायालय का निर्णय

एस. बी. सिन्हा, जे. के द्वारा दिया गया था,

1. यह अपील मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की प्रथम अपील नंबर 8/1988 आदेश दिनांकित 11.05.2004 जिसमें कि अपर जिला न्यायाधीश, होशंगाबाद द्वारा केस नंबर 12-ए/1986 अपीलार्थी द्वारा पेश दावे दिनांकित 23.11.1987 को खारिज करने के संबंध में पेश की गयी है।

2. मामले के मुख्य तथ्य जो कि निर्विवाद है, यह है कि वादग्रस्त भूमि 1859 में रवि बलदेव बक्स गुरुबाई एवं रामजानकीप्रसाद के पूर्वजों द्वारा निलामी के लिये रखी गयी थी। वे सभी मृत्यु तक उक्त भूमि के स्वामित्व एवं कब्जे में रहे। बाद में 24.3.1986 को उक्त भूमि फतेह चंद द्वारा राय बलदेव बक्स और गौराबाई से खरीदी गयी। उनकी वर्ष 1920 में मृत्यु हो गई। उनकी पत्नी श्रीमती पुतारी सेठानी, उनके एकमात्र उत्तराधिकारी होने के नाते उक्त भूमि की स्वामी बनी। उसकी 8.5.1961 में मृत्यु हो गयी। यह निर्विवाद था कि उसके कोई संतान नहीं थी एवं वादी नारायण प्रसाद अग्रवाल और प्रतिवादी संख्या 2 गुरुप्रसाद अग्रवाल को उक्त संपत्ति विरासत में हीरालाल जो कि फतेहचंद का भाई था, के पुत्र होने के नाते विरासत में प्राप्त हुई।

3. अभिलेखों से यह प्रतीत होता है कि होशंगाबाद के तत्कालीन कलेक्टर द्वारा पट्टे के किराए में वृद्धि के मूल्यांकन के लिए की गयी कार्यवाही के संबंध में पुतारी सेठानी द्वारा एक कार्यवाही प्रारम्भ की गयी, उसके विरुद्ध एक आदेश पारित हुआ कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध सेटलमेंट कमिश्नर के समक्ष अपील की गयी। जिसके द्वारा दिनांक 30.10.1992 को सी.पी. संख्या 2454/1 में यह निर्धारित किया गया कि

“एमटी. पुतारी सेठानी ने सहायक सेटलमेंट ऑफिसर नजुल होशंगाबाद के विरुद्ध निम्नलिखित प्लॉटों के संबंध में अपील पेश की।

नं. 207/18, 87/21, 70/21, 108/21 सहायक निपटान अधिकारी द्वारा उक्त निर्धारण पहले ही सामान्य निगरानी के रूप में मौके पर ही आदेश दिनांक 14.10.1921 द्वारा खारिज किया जा चुका था।

11/7 सीताफल बारी के रूप में आंकी गई यह स्वीकृत है कि इस बारी के फल बेचे जाते थे। एक मुस्लिम द्वारा उक्त जमीन में मकबरे की देखभाल की जाती थी। प्रार्थी के कब्जे में बंधक द्वारा 30 वर्ष पश्चात् उक्त जमीन कब्जे में आयी थी। वह एक हिन्दू थी तथा उसे मुआफ रखने का कोई अधिकार नहीं था। सहायक निपटान अधिकारी का आदेश बरकरार रखा गया।

नं. 3/44 क्षेत्र 12.11 :- पुराना किराया रु. 52-6-5 रु., नया
किराया 60-8-0

1/60-से-6,26:- पुराना किराया रु. 24-0-0 रु., नया किराया
31-4-0

उक्त मकानों के क्षेत्र थे, जो कि नरबुद्धा डिवीजन ने अपने
पत्र क्रमांक 551 ए दिनांकित 15.04.1920 में स्पष्ट रूप से
आदेश दिया कि उपायुक्त के पत्र क्रमांक 290 दिनांकित
24.03.1920 के अनुसार उक्त भूखंडों पर कोई स्थाई लीज
नहीं थी। सहायक निपटान अधिकारी को आयुक्त के आदेश
के अनुसार 30 साल की अवधि के संबंध में किराया प्राप्त
करने का अधिकार नहीं था। जो कि 1.04.1899 से लागू
था। होशंगाबाद नजुल प्रस्ताव के अनुसार लीज अवधि नये
बंदोबस्त से पूर्व बढ़ाई जानी चाहिए थी,

सहायक निपटान अधिकारी द्वारा बंदोबस्त संबंधी आदेश
इसलिये पलटा गया एवं खसरा में पुराने किराए का इंद्राज
किया गया। डिप्टी कमिश्नर पालना करवावे।

एस. डी./जी. जी. सी. ट्रेच

कमिश्नर ऑफ सेटलमेंट

सेंट्रल प्रोविन्सेस 19.10.1922”

उक्त आदेश प्रदर्श पी-3 के रूप में दावे में चिह्नित किया गया था।

4. वादी-अपीलार्थी और प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा उनके नाम पर राजस्व रिकॉर्ड में इंतकाल खोले जाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया, जो कि दिनांक 12.12.1964 के आदेश द्वारा स्वीकृत किया गया। परन्तु, उक्त आदेश अपीलीय अधिकारी द्वारा दिनांक 26.06.1965 को अपास्त किया गया। अतिरिक्त आयुक्त भोपाल ने यह विचार व्यक्त किया कि वादग्रस्त भूमि को निर्मुक्त नहीं माना जा सकता, क्योंकि कथित रूप से किराए का आकलन 1881 के भूमि राजस्व अधिनियम और 1917 के भूमि राजस्व संहिता के तहत किया गया था और इसे चुनौती नहीं दी गई थी, जिसमें कहा गया था:

“इसके अलावा 1881 के भूमि राजस्व अधिनियम और 1917 के भूमि राजस्व के तहत अधिनियम सभी भूमि राजस्व का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थी और केवल एक मामले के रूप में 1891 से पहले बनाई गई अनुग्रह भूमि को 420 से छूट दी गई थी। वादग्रस्त भूमि 1921 के सेटलमेंट के समय भूमि के ऊपर नहीं बनी हुई, इसलिए निर्धारित की गयी। किसी भी तरह से, मूल्यांकन तब लगाया गया और उस समय को चुनौती नहीं दी गई, अब उस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। एमपीएलआर कोड 1959 की धारा 100 के अनुसार इस प्रकार का निर्धारण सेटलमेंट की अवधि की समाप्ति के पश्चात् पुनर्निर्धारण

किया जाना चाहिए, इसलिये विद्वान कलेक्टर द्वारा प्रार्थी के उक्त दावे की सम्पत्ति निर्धारण योग्य नहीं है, खारिज करने का सही निर्णय है। विद्वान कलेक्टर द्वारा पुनर्मुल्यांकन निर्धारण एवं लगान हेतु जो तरीका अपनाया गया, उसे कहीं भी चुनौती नहीं दी गयी। मेरे विचार में वादग्रस्त भूमि के स्वामी द्वारा इसका भुगतान किया जाना चाहिए, चाहे वह इसे स्वीकार करे या अस्वीकार करे। यदि भूमि के कब्जाधारी भूमि पर बदली हुई दर व लगान के आधार पर कब्जा नहीं रखना चाहता है तो विद्वान कलेक्टर के पास इसे नजुल भूमि घोषित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। उपरोक्तानुसार विद्वान कलेक्टर द्वारा पारित आदेश किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप के योग्य नहीं है। इसलिए अपील खारिज की जाती है।

5. हालाँकि, विस्तृत रूप से यह कहा गया है कि भू-राजस्व विधि के प्रावधान कटाई की भूमि के संबंध में लागू नहीं होती है।

6. अपीलार्थी के पक्ष में पारित इंतकाल आदेश के संबंध में, यह पाया गया कि नजुल भूमि के संबंध में इंतकाल आदेश M.P.L.R के प्रावधानों द्वारा शासित नहीं होते हैं। द्वितीय अपील सुनवाई योग्य नहीं थी।

7. इसके बाद जिला न्यायाधीश, होशंगाबाद के न्यायालय में

अपीलार्थी नारायण प्रसाद अग्रवाल ने याचिका निम्न अनुतोष हेतु दायर की।

“ए- यह घोषित किया जावे कि वादी और प्रतिवादी संख्या 2 गुरुप्रसाद, मृतक श्रीमती पुतारी सेठानी के कानूनी उत्तराधिकारी हैं। इसलिए नाजुल प्लॉट नंबर 3, क्षेत्र 12-11 एकड़ (57538 वर्ग फुट) पत्रक संख्या 44, मोहल्ला सिविल स्टेशन, होशंगाबाद शहर, तहसील और जिला होशंगाबाद, जैसा कि अनुसूची ए' रेखाचित्र मानचित्र में दिखाया गया है, के स्वामी होकर कब्जे में हैं।

बी- यह भी घोषित किया जावे कि सरकार द्वारा मृतक पुतारी सेठानी या उसके पूर्वजों को उक्त भूमि पट्टे पर नहीं दी गयी थी।

13 (क) स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री पारित की जावे कि प्रतिवादी संख्या 1 को वादग्रस्त सम्पत्ति पर कब्जा लेने से रोका जावे एवं प्रतिवादी संख्या 1 को निर्देशित किया जावे कि वह वादी और प्रतिवादी संख्या 2 का नाम वादग्रस्त सम्पत्ति के संबंध में भूराजस्व के पुनर्निर्धारण विज्ञापन संख्या 4-सी-63 दिनांक 16.2.1963 के अनुसार करवाये।”

8. अपने जवाब दावे में, प्रतिवादी ने अन्य बातों के साथ तर्क दिया:

(1) ऐसी भूमि के संबंध में जिनका भूराजस्व निर्धारित नहीं था,

बढ़ाया जाना चाहिए था एवं विधि के अनुसार पुनर्निर्धारण किया जाना चाहिए था, इस प्रकार का निर्णय यह ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए था कि वादग्रस्त सम्पत्ति खाली पड़ी है या मकान का निर्माण किया जा चुका है।

(2) जैसा कि वादी ने नियमों और शर्तों का उल्लंघन किया है। पट्टा, पट्टा निर्धारित करने का निर्णय लिया गया था सरकार को कानून के अनुसार जिसके लिए सिफारिशें भेजी गई थीं।

(3) किसी भी स्थिति में, वादी ने किराया देने का दायित्व स्वीकार कर लिया है और सक्षम प्राधिकारी के समक्ष पारित आदेश को चुनौती नहीं दी गई, मुकदमा चलने योग्य नहीं था।

9. प्रथम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, होशंगाबाद जिनके न्यायालय में उक्त वाद अंतरित किया गया था। पक्षकारों द्वारा उठाए गए तर्कों एवं अभिवचनों के आधार पर निम्न विवादक विरचित किये गये।

“1 (क) क्या यह मुकदमा समय के भीतर है?

(ख) क्या यह समय द्वारा वर्जित है?

2. क्या वादी वादग्रस्त भूमि पर कब्जा नहीं रखता है? इसका प्रभाव?

3.(क) क्या वादग्रस्त भूमि रामजानकीप्रसाद द्वारा सार्वजनिक नीलामी में 1886 से लगभग 27 साल पूर्व खरीदी गयी एवं कब्जा प्राप्त किया गया।

(ख) क्या 24.3.1986 को रामजानकीप्रसाद की विधवा गौरा बाई और बख्शी के पुत्र राय बलदेव द्वारा सेठ धरमचंद के पुत्र सेठ फतेहचंद को पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा बेची गयी, जिस पर उन्होंने कब्जा प्राप्त किया?

(ग) क्या सन् 1920 में सेठ फतेहचंद की मृत्यु के बाद उनकी विधवा पुतारी सेठानी उक्त सम्पत्ति पर विधिक उत्तराधिकारी के रूप में काबिज हुई?

(घ) क्या 30.10.2022 निपटान आयुक्त सेंट्रल प्रोविसेंस एवं बरार नागपुर ने यह निर्धारित किया गया कि पुतारी सेठानी वादग्रस्त भूमि की स्थाई पट्टेदार थी?

(ङ) क्या 8.5.61 को वादी और उसका भाई प्रतिवादी 2 पर पुतारी सेठानी की मृत्यु के बाद इस संपत्ति पर वारिसान के रूप में उनका कब्जा हो गया?

(च) क्या यह संपत्ति प्रतिवादी संख्या 1 की है?

(छ) क्या वादी और प्रतिवादी संख्या 2 भी इसके मालिक हैं?

4. अनुतोष, लागत और प्रतिपूरक लागत?"

10. विवादक संख्या 3 (एफ) और 3 (जी) के अलावा सभी विवादक वादी के पक्ष में निर्धारित किये गये। वादी का स्वामित्व घोषणा किये जाने के बावजूद राजस्व रिकॉर्ड में इंद्राज के आधार पर दावे को

पोषणीय नहीं माना गया।

11. विचारण न्यायालय द्वारा विवाद्यों पर किये गये निष्कर्ष दिलचस्प हैं, जो कि निम्न प्रकार हैं:-

(क) मुकदमा सीमा द्वारा वर्जित नहीं है।

(ख) विवाद्यक संख्या 2 के संबंध में, यह पाया गया कि राज्य सरकार द्वारा खंडन के स्वरूप किसी प्रकार की साक्ष्य पेश नहीं की गयी। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 वादग्रस्त सम्पत्ति पर काबिज पाये गये।

(ग) विवाद्यक संख्या 3 में यह पाया गया कि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा किसी प्रकार का आक्षेप नहीं उठाया गया। यह भी पाया गया कि वादग्रस्त सम्पत्ति 24.3.1986 को मृतक फतेहचंद द्वारा राय बलदेव बक्स से खरीदा गया था, जो कि प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया है। पुतारी सेठानी का उत्तराधिकार में उक्त सम्पत्ति मृतक फतेहचंद से प्राप्त करना भी प्रतिवादी संख्या 1 ने लिखित जवाब में स्वीकार किया है।

(घ) विवाद्यक संख्या 3 की ओर ध्यान देते हुये न्यायालय ने स्वीकार किया है कि सेटलमेंट कमिश्नर द्वारा पारित आदेश 30.10.2022 (3.10.2022 के रूप में गलत अंकित) जिसमें कि यह निर्धारित किया गया था कि वादग्रस्त भूमि वादी के पूर्वजों को लीज पर नहीं दी गयी, के संबंध में खंडन स्वरूप राज्य द्वारा किसी भी प्रकार की साक्ष्य पेश नहीं की गयी इसलिये उक्त विवाद्यक वादी के पक्ष में निर्णित हुआ।

(ङ) दोबारा विवाद्यक संख्या 3 पर ध्यान दें तो विचारण न्यायालय

ने यह पाया कि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा श्रीमती पुतारी सेठानी वादी और प्रतिवादी संख्या 2 कब्जे में रहे हों, इसका खंडन करने के संबंध में किसी प्रकार की साक्ष्य पेश नहीं की गयी। आगे यह भी निर्धारित किया गया कि सम्पूर्ण वाद में विवाद इन दो विवाद्यों के संबंध में ही था।

(च) वादी द्वारा यह प्रकट किया गया कि उसके पूर्वज भूमि के स्वामी होकर कब्जा रखते थे। इसी कारण वह और प्रतिवादी संख्या 2 उक्त प्लॉट के स्वामी हैं।

(छ) प्रतिवादी संख्या 1 मध्य प्रदेश राज्य ने यह प्रकट किया है कि वर्ष 1920-21 के लिए नाजुल समझौते में, वादग्रस्त प्लॉट 30 वर्ष की अवधि के लिए वादी संख्या 2 पुतारी सेठानी के पूर्वजों को दिया गया था। यह जमीन एक नाजुल आवासीय थी इसलिये भूमि के स्वामित्व अधिकार राज्य सरकार के पास थे।

(ज) श्रीमती पुतारी सेठानी केवल पट्टेदार थी तथा उससे किराया वसूल किया जाता था।

(1) चूंकि विवादग्रस्त भूखंड पर पुतारी सेठानी का कोई अधिकार नहीं था, इसलिए वादी और प्रतिवादी संख्या 2 का भी इस प्लॉट पर कोई अधिकार नहीं है।

12. विचारण न्यायालय द्वारा विचित्र प्रकार से तर्क देते हुये तथा केवल राजस्व रिकॉर्ड में किये गये इंद्राज के आधार पर इस विरोधाभासी एवं असंगत निष्कर्षों पर पहुंचा कि राज्य ने यह जाहिर किया है कि वह

वादग्रस्त भूमि का स्वामी है, जबकि यह स्पष्ट रूप से राय दी गई थी कि वादी और प्रतिवादी नं. 2 यह साबित कर चुके थे कि उनका स्वामित्व एवं कब्जा था। प्रदर्श पी-4 व पी-6 जो कि खसरा की प्रमाणित प्रति थी, उन पर विचारण न्यायालय ने भरोसा किया गया था:

“इसके कॉलम संख्या 8 में भी यही बात लिखी गई है। ये दोनों दस्तावेज वादी की ओर से प्रस्तुत किए गए थे, जिन पर वह आधारित था। सन् 1920-21 की बंदोबस्त रिपोर्ट जो कि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा पेश की गयी एवं रेवेन्यू अपील के दस्तावेज से यह साबित हुआ कि शहरी आवासीय नजुल भूमि के स्वामित्व संबंधी अधिकार राज्य के पास है तथा उक्त प्रकार की भूमि राज्य द्वारा व्यक्तिगण हैसियत से लोगों को दी जाती थी एवं इस प्रकरण में यह तथ्य साबित हुआ है कि वादग्रस्त भूमि श्रीमती पुतारी सेठानी को 31.03.1951 तक लीज पर दी गयी थी। प्रदर्श पी-4 व प्रदर्श पी-6 खसरा नंबर की प्रमाणित प्रतियां वादी द्वारा पेश की गयी हैं तथा वह उन पर आधारित भी रहा है। उक्त दस्तावेज लोक दस्तावेज की श्रेणी में आते हैं जो कि धारा 35 साक्ष्य अधिनियम के अनुसार साक्ष्य में ग्राह्य है, जब तक कि अन्यथा साबित नहीं कर दिया जावे। इन दोनों दस्तावेज पर यह लिखा हुआ है कि वादग्रस्त प्लॉट श्रीमती

पुतारी सेठानी को 31.03.1951 को लीज पर दिया गया था।

उक्त दस्तावेज प्रतिवादी संख्या 1 का समर्थन करता है।

13. उपरोक्त निष्कर्षों के आधार पर मुकदमा खारिज कर दिया गया था। मुकदमे की सुनवाई न्यायालय ने यह कहते हुए अपीलार्थी के तर्क को भी खारिज कर दिया कि “विवादग्रस्त भूमि नजुल भूमि नहीं थी। इन सभी दस्तावेजों के मद्देनजर, यह तर्क कि वाद भूमि नाजुल भूमि नहीं थी और अपीलार्थी और उसके भाई या उनके पूर्ववर्ती के स्वामित्व अधिकार में थी, को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। यदि पट्टाधारक द्वारा पट्टा की शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो नजुल भूमि का पट्टा समाप्त किया जा सकता है। इसलिए, अपीलार्थी के विद्वान वकील का यह तर्क कि सरकार को पट्टा समाप्त करने का कोई अधिकार नहीं है, स्वीकार नहीं किया जा सकता है। यदि पट्टे की समाप्ति में अवैधता है, तो धारक कानूनी उपाय का सहारा लेने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता है कि सरकार या अन्य सक्षम अधिकारियों के पास पट्टे को समाप्त करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।

14. श्री ए. के. सांघी, अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील इस अपील के समर्थन में अन्य बातों के साथ तर्क दिया कि विद्वान विचारण न्यायाधीश के साथ ही उच्च न्यायालय ने स्व-विरोधाभासी और असंगत निष्कर्षों पर पहुंचने में एक स्पष्ट त्रुटि की, जहां तक कि एक ओर यह अभिनिर्धारित किया गया था कि वादी का वादग्रस्त भूमि पर अधिकार

है, दूसरी ओर यह राय दी गई थी कि प्रतिवादियों ने भी अपना अधिकार साबित कर दिया है।

15. श्री बी. एस. बंधिया, प्रतिवादी राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने-दूसरी ओर तर्क दिया कि श्रीमती पुतारी सेठानी नाजुल भूमि के लिए किराया दे रही थी और इस प्रकार राज्य को अपने पट्टेदार के रूप में स्वीकार कर रही थी, इसलिए अपीलार्थी को अब यह तर्क देने की अनुमति नहीं दी जा सकती है कि विचाराधीन भूमि नाजुल भूमि नहीं है। यह प्रस्तुत किया गया था कि पट्टा के अनुदान के लिए 2.7.1920 पर एक आवेदन दायर किया गया था और मामले के उस दृष्टिकोण से भी, राज्य के अधिकार को स्वीकार और स्वीकार किया जाना चाहिए।

16. हम विचारण न्यायाधीश के निष्कर्षों की सराहना करना मुश्किल महसूस करते हैं, जो, हमारी राय में, आत्म-विरोधाभासी हैं। हमने पहले यह पाया कि वादग्रस्त भूमि की नीलामी वर्ष 1859 में की गई थी। वादी और प्रतिवादी संख्या 2 और उनके हितधारी पूर्ववर्तियों ने पूरा समय इसके कब्जे में रहे। जबकि यह सच हो सकता है कि वादग्रस्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में नजुल भूमि के रूप में दर्शित हो रही थी और स्वर्गीय श्रीमती पुतारी सेठानी ने पट्टे के लिये आवेदन कर राज्य सरकार को किराये का भुगतान किया। सेटलमेंट कमिश्नर के आदेश दिनांक 30.1.22 द्वारा यह स्पष्ट है कि ऐसी कोई लीज रिकॉर्ड पर उपलब्ध नहीं थी। वादग्रस्त भूमि उसके व उसके पूर्ववर्तियों द्वारा स्थाई पट्टे के रूप में रखी गयी थी।

विद्वान विचारण न्यायाधीश, इस निष्कर्ष पर पहुँचते हुए कि स्वर्गीय श्रीमती पुतारी सेठानी ने 30 साल की अवधि के लिये एक पट्टा प्राप्त किया। राज्य द्वारा प्रस्तुत किसी भी दस्तावेजी या मौखिक साक्ष्य का उल्लेख नहीं किया गया। यदि कलेक्टर द्वारा श्रीमती पुतारी सेठानी के पक्ष में लीज डीड निष्पादित की जाती तो ऐसी प्रस्तुत होती। वस्तुतः जैसा कि यहां पाया गया है सेटलमेंट कमिश्नर इस सकारात्मक निष्कर्ष पर पहुंचे कि कलेक्टर द्वारा किसी प्रकार की लीज डीड निष्पादित नहीं की गयी। सेटलमेंट कमिश्नर द्वारा जारी आदेश को कहीं भी चुनौती नहीं दी गयी। जैसा कि यह आदेश अंतिम हो चुका था। सेटलमेंट कमिश्नर का उक्त आदेश अंतिम होकर राजस्व संस्थाओं पर बाध्यकारी था तथा अन्य राजस्व विभाग द्वारा भिन्न मत होने के आधार पर उक्त प्रश्न पुनर्विचार करने हेतु अनुमती नहीं दी जा सकती थी।

17. विद्वान विचारण न्यायाधीश ने हमारी राय में वादी के पूर्ववर्तियों एवं प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा रखे जाने वाले स्वत्व जो कि उन्होंने 1859 में नीलामी द्वारा प्राप्त किये थे, को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। ऐसा कोई भी दस्तावेज पेश नहीं हुआ है, जो कि यह प्रकट करे कि वास्तविक स्वामी का वादग्रस्त भूमि में क्या हित था।

18. यह भी कहा जा सकता है कि सभी मालिकों के मालिकाना हक और काश्तकारी अधिकारी राज्य में निहित होते हैं। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 मध्यप्रदेश राज्य को किराया देने के लिए बाध्य थे, परन्तु दूसरी

तरफ यह बात भी है कि राज्य नजुल भूमि का स्वामी था एवं वादी व प्रतिवादी संख्या 2 और श्रीमती पुतारी सेठानी निश्चित समय के लिये लीज पर थे।

19. 'नजुल भूमि' शब्द का एक निश्चित अर्थ है। इसका अन्य बातों के साथ अर्थ है "कस्बों या गाँवों में या उनके आस-पास की भूमि या इमारतें जो सरकार के पास चली गई हैं; राज्य के पास चली गई या समाप्त हो गई संपत्ति: आमतौर पर ऐसी भूमि या आवासीय सम्पत्ति जो कि राज्य सरकार से सम्बन्धित होती है या धोखे से प्राप्त राज्य सरकार की भूमि होती है।

20. यहां तक कि राजस्व पुस्तक दस्तावेजों में भी, भाग चार क्रम संख्या 1, नजुल नगर निगम की निर्धारित सीमाओं के भीतर और नगरपालिका में निम्नानुसार बताया गया है:

"1. "नजुल" और "सरकारी भूमि"

1. वह भूमि जो सरकार की संपत्ति है और जो
 - (क) जो गांव के किसी के खाते में अभिलेख का हिस्सा नहीं है।
 - (ख) बंजर, झड़ीदार जंगल, पहाड़ी और चट्टान, नदियाँ, गाँव के पेड़ या सरकारी पेड़ के रूप में दर्ज नहीं है
 - (ग) गाँव की सड़कों, गोथान, चराई भूमि या गाँव में अबादी चारगाहों में चराई का आकार के रूप में दर्ज नहीं है।

(घ) गाँव के विकास के लिए या कोई अन्य सामुदायिक विकास परियोजनाए आरक्षित नहीं है।

(इ) सेवा भूमि नहीं है।

दो श्रेणियाँ हैं अर्थात्। “नजुल” और “सरकारी भूमि”। “नजुल” की भूमि, ऐसी सरकारी भूमि शामिल हैं जिनका उपयोग निर्माण परियोजनाओं के लिए या बाजार जैसी सामान्य सार्वजनिक सुविधाओं के लिए या मनोरंजन उद्यान, या वे भूमि जिनकी संभवतः आवश्यकता हो सकती है, किया जाता है। भविष्य में ऐसी परियोजनाओं के लिए उपयोग किया जाएगा।

भूमि का वर्गीकरण जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार का विभाग या जो सरकारी भूमि के अभिलेखों में दर्ज किया जाएगा। संक्षेप में, यह कहा जा सकता है कि “नजुल” वह भूमि है जिसे अगर खुले स्थान के रूप में रखा जाए इसका अधिक महत्व है न कि कृषि से संबंधित है। वे जमीनें जो आमतौर पर “नजुल” भूमि के रूप में वर्गीकृत की जाती हैं, जो इस प्रकार हैं: -

- इमारतों के पास भूमि के भूखंड, चाहे वे सरकारी हों या गैर-सरकारी।

- छावनी भूमि;

- बाजार, हाट या मेलों के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि के भूखंड;
- शमशान घाट की भूमि (शमशान);
- ऐसी भूमि जहाँ निर्माण की संभावना हो और ऐसी अन्य ऐसी भूमि जहाँ निकट भविष्य में सार्वजनिक उद्देश्य के लिये निर्माण की सम्भावना हो तथा भविष्य में सार्वजनिक उपयोग हेतु काम में ली जा सकती है। नजुल भूमि में वह राजकीय भूमि भी शामिल होती है जो कि सराय, कांजी हाऊस, बाजार आदि के लिए और जो स्थानीय निवासियों के नाम पर हो।"

21. विद्वान विचारण न्यायाधीश स्पष्ट रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि राज्य ने वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों पर भरोसा किया था एवं उसके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का कोई खंडन भी नहीं किया, इसलिये हमारी राय में केवल राजस्व रिकॉर्ड में किये गये इंड्राज के आधार पर वाद खारिज नहीं कर सकते थे।

22. अधिकार का अभिलेख स्वत्व का दस्तावेज नहीं है। एस.35 उसमें प्रविष्टियाँ की गईं यद्यपि साक्ष्य अधिनियम एक सुसंगत साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य है और यद्यपि इसमें शुद्धता का उपधारणा भी हो सकती है, लेकिन यह किसी भी संदेह या विवाद से परे है कि ऐसी उपधारणा का खंडन किया जा सकता है। प्रदर्श पी-4 और प्रदर्श पी-6 प्रदर्शित जिन पर

विचारण न्यायालय द्वारा भरोसा करके यह माना गया कि राज्य का वादग्रस्त सम्पत्ति का स्वत्व था। उक्त दस्तावेज सन् 1920-21 के थे, लेकिन यह ध्यान देने में विफल रहे कि निपटान आयुक्त द्वारा दिनांक 30.10.1992 को पारित आदेश में उक्त दस्तावेजों के सम्बन्ध में उपधारणा को ध्यान में रखा जाकर यह अभिनिर्धारित किया गया कि विचाराधीन भूमि के संबंध में पट्टे का कोई विलेख निष्पादित नहीं किया गया था, उक्त 'पी' के शीर्षक को स्थायी पट्टेदार माना जाना चाहिए।

23. यद्यपि अवधारणाओं के अनुसार अचल संपत्ति के संबंध में स्वामित्व अलग हो सकता है। यह मौलिक है कि एक ही प्रकृति का शीर्षक दो अलग-अलग व्यक्तियों में मौजूद नहीं पाया जा सकता है जहां उनके दावे विपरीत हैं। अदालत के लिए इस तरह की स्थिति में यह अभिनिर्धारित करना संभव था कि वादी और प्रतिवादी संख्या 2 राज्य के तहत एक स्थायी पट्टेदार होने के नाते भूमि राजस्व के माध्यम से या अन्यथा राज्य को किराया देने के लिए बाध्य थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होगा कि वादी के स्वामित्व धारक होने के बावजूद, राज्य को उसमें प्रत्यावर्तन का अधिकार था या उस मामले के लिए भूमि की किस्म नाजुल भूमि थी।

24. इसलिए विचारण न्यायालय के निष्कर्षों से सहमत होना मुश्किल है, जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा मान्य किया गया है।

25. पट्टा विलेख के अस्तित्व को साबित किया जाना चाहिए। ऐसा

ही होना भी चाहिए। सम्पत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 105 और 107 में उक्त विधिक आवश्यकता को ही बताया गया है। पक्षकारों के मध्य हुई संविदा के आधार पर पट्टाकर्ता एवं पट्टा ग्रहिता के संबंध एवं लीज की शर्तें निर्भर करती हैं। राज्य का यह मामला नहीं था कि पी के पक्ष में मौखिक लीज स्वीकृत की गई थी। ऐसे मामले जहां राज्य शामिल हो एवं भूमि की किस्म नजुल भूमि हो। राज्य के लिये यह आवश्यक है कि लीज डीड का निष्पादन करें। जैसा कि, इस प्रकार के दस्तावेज का निष्पादन साबित नहीं हुआ, विचारण न्यायालय ने स्पष्ट रूप से सेटलमेंट कमिश्नर के आदेश दिनांकित 30.10.1922 के बावजूद राजस्व रिकॉर्ड के इंड्राज के आधार पर निर्भर रहकर गलती की है। राजस्व रिकॉर्ड में की गयी प्रविष्टियां नीलामी में क्रय की गयी सम्पत्ति के क्रेता के विधिक स्वत्व को समाप्त नहीं कर सकते हैं। विशेषकर इस तथ्य के आधार पर कि पी ने जिला कलेक्टर के आदेश को सेटलमेंट कमिश्नर के समक्ष चुनौती दी थी, जो कि उसके पक्ष में निर्धारित हुआ। यह अच्छी तरह से तय है कि किराये का भुगतान या गैर-भुगतान स्वत्व नहीं बनाता है।

26. हो सकता है कि दावे को अच्छी तरह से तैयार नहीं किया गया हो, लेकिन यह अच्छी तरह से पता है कि सामान्यतः कमजोर अभिवचनों को कठोरता से अर्थ नहीं लिया जाना चाहिए। जैसा कि देस राज बनाम भगत राम, (2007) 3 स्केल 371 में निम्न प्रकार बताया गया है:

“यह हो सकता कि वादी ने अपने वाद में विशेष रूप से

तथ्य अंकित नहीं किये हैं तथा कमजोर अभिवचन किये हों परन्तु यह सामान्य माना जाता है कि उनका अर्थ उदारतापूर्वक लिया जाना चाहिये। अभिवचनों का पूर्ण रूप से अर्थ लगाया जाना चाहिए, केवल इस कारण की पक्षकार ने शब्दावली का उपयोग नहीं किया है, जो उन्हें करनी चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि विधि के तत्व की जो आवश्यकता है वह अनुपस्थित है। इस संबंध में किसी प्रकार का संशय नहीं होना चाहिए कि अनुच्छेद 64 व 65 परिसीमा अधिनियम एवं अनुच्छेद 142 व 144 परिसीमा अधिनियम के अनुसार प्रतिकूल कब्जे साबित करने का भार उस व्यक्ति पर होता है जो कि उक्त कथन करता है। आगे यह भी विवाद में पाया गया कि सहअंशधारी का कब्जा अन्य सहअंशधारी के समान होता है जब तक कि साबित नहीं कर दिया जावे।“

27. जैसा कि सर्वविदित है, अभिवचनों का पूरी तरह से अर्थ लगाया जाना चाहिए। इसलिए हमारा यह विचार है कि विद्वान विचारण न्यायालय एवं उच्च न्यायालय का निष्कर्ष की राज्य भूमि का स्वामी था, सही नहीं है। इसके अलावा राज्य इस भूमि को नजुल भूमि के रूप में स्थापित करने में सक्षम नहीं रहा है और किसी भी स्थिति में यह नहीं दिखा पाया है कि उसको परिवर्तित करने का अधिकार था।

28. हालाँकि, हम इस बारे में कोई राय व्यक्त करने का इरादा नहीं रखते हैं कि क्या मध्य प्रदेश राज्य अन्यथा अपीलार्थियों से कोई किराया प्राप्त करने का हकदार है या नहीं। यदि ऐसा प्रश्न उठाया जाता है तो उचित कार्यवाही में निर्धारित किया जा सकता है।

29. ऊपर बताए गए कारणों के लिए, हम उच्च न्यायालय द्वारा एवं विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को अपास्त करते हैं तथा वादी का दावा डिक्री किया जाता है। अपील की अनुमति दी गयी। वकील का शुल्क 25000/-रुपयेनिर्धारित किया गया।

अपील की अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक प्रेमप्रकाश जीनगर, आर.जे.एस. यूआईडी आरजे 00976 द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित कि या गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं कि या जासकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा ।
